

उपस्थित अधिकारी पदेन  
सहायक कलेक्टर कोड़ा

~~16/12/19 पूजावती मन्त्रीय न्यायलय अखण्ड  
अध्यक्षकरी पदेन राजस्व असाधारण विभाग  
अखण्ड के पत्रांक: TA/2019/1600  
दिनांक 11/12/19 से न्यायलय निर्णय के~~

~~Not Present  
अखण्ड  
Mukesh  
Rana~~

न्यायालय उपाखंड अधिकारी  
पदेन काम के आधार पर

पुठको 109/179.पम

तारीख  
हुकम

करेड़ा (भोलवाड़ा)  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
कमलारामल / सुमाशुमाल

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
हुकम की तारीख  
में जारी हुकम

के साथ जज हुकम / पत्रावली में वकील  
पार्थी आगे कोड कार्यवाही नहीं  
काहता है। अतः पत्रावली में वकील  
पार्थी द्वारा आगे कोड कार्यवाही  
नहीं करने से Not Proven में खारिज  
की जाती है। पत्रावली में वकील पार्थी  
के फर अहकाम प्रकरण को Not Proven  
कर हस्ताक्षर वि. ये उभरे हैं प्रकरण  
में पूर्व में जारी रखमान की प्राप्ति के  
बिना ज. होने से स्वतः निरस्त माना  
जावे। पत्रावली फ. सुमाशुमा होकर  
नम्बर से काम की जावे। पार्थी का  
मूलकार श्रु. में दिनांक 28/8/19 को  
स्वारी ज. है। हुकम है यह पत्रावली  
मूल कार. की पत्रावली के साथ  
संलग्न है।

उपाखंड अधिकारी पदेन  
रामक कलक्टर करेड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा  
कमांक:टीए/02/2019/1600 दिनांक: 11-12-19

प्रेषिति 1. उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा

उनवान


उदा पिता पोखर भील बनाम कैलाश पिता मांगू भील

अपील विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा  
प्रकरण संख्या 571/2014(109/17) निर्णय दिनांक 7.11.2014

महोदय,

उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 6.9.2019 को प्रसारित आदेश की पालना मे न्यायालय के मुताबिक निर्णय पालना हेतु निर्णय की प्रति मय आपके न्यायालय की पत्रावलियों के संलग्न प्रेषित की जा रही है।

तदनुसार न्यायालय के आदेश की पालना आपके स्तर पर सुनिश्चित करे।

  
रीडर

संलग्न: पत्रावली संख्या  
109/2017  
571/14  
किता 43

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व  
अपील प्राधिकारी भीलवाडा

निर्णय प्रति-एक

  
6/12/19